

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 893]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 5, शक 1947

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. RULE-801/40/2025-FINANCE.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पेंशनर कल्याण निधि नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 3 के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
“(घ) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़;”
- नियम 9 के उप-नियम (2) के खण्ड (तीन) में, शब्द “कोष एवं लेखा” के स्थान पर, शब्द “पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़” प्रतिस्थापित किया जाए।
- प्रारूप-‘क’ में, शब्द “संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर” के स्थान पर, शब्द “संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़” प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 26th November 2025

NOTIFICATION

No.RULE-801/40/2025-FINANCE.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Pensioners Welfare Fund Rules, 1997, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (d) of rule 3, the following shall be substituted, namely :-
“(d) “Director” means the Director, Pension and Provident Fund, Chhattisgarh;”
2. In clause (iii) of sub-rule (2) of rule 9, for the words “of Treasuries incharge of Pension work”, the words “Pension and Provident Fund, Chhattisgarh” shall be substituted.
3. In FORM-‘A’, for the words, “The Director, Treasuries and Accounts, Chhattisgarh, Raipur”, the words “Director, Pension and Provident Fund, Chhattisgarh” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.